निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 33 / 2019
दायरा दिनांकः—12.06.2019
निर्णय दिनांकः— 11-11-24

उनवान

1. इमरत आयु 60 वर्ष आत्मज लटुर जाति गाडरी (बघेला) निवासी ग्राम गोन्दलपुर तहसील राधोगड जिला गुना मध्य प्रदेश
2. नन्नु लाल आयु 58 वर्ष आत्मज लटुर जाति गाडरी (बघेला) निवासी ग्राम भमावत तहसील कुम्भराज जिला गुना मध्य प्रदेश
3. घनश्याम आयु 56 वर्ष आत्मज लटुर जाति गाडरी (बघेला) निवासी ग्राम भमावत तहसील कुम्भराज जिला गुना मध्य प्रदेश
4. बाबुलाल आयु 50 वर्ष आत्मज लटुर जाति गाडरी (बघेला) निवासी ग्राम गोन्दलपुर तहसील राधोगड जिला गुना मध्य प्रदेश

बनाम

1. गौरीलाल आयु 56 वर्ष आत्मज गोपीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम भंवर (नयागांव) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. सीताराम आयु 54 वर्ष पुत्री गोपीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम भंवर (नयागांव) तहसील छबडा जिला बारां (राज0
3. भूरीबाई आयु 52 वर्ष अत्मज गोपीलाल पत्न जगदीश निवासी ग्राम भंवर (नयागांव) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. धापु बाई आयु 50 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नि हंसराज जाति गाडरी निवासी ग्राम भंवर (नयागांव) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. सुमित्राबाई आयु 48 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी रामदयाल जाति गाडरी निवासी ग्राम भंवर (नयागांव) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. बसंती बाई आयु 46 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नि मांगीलाल निवासी ग्राम भंवर (नयागांव) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 11-11-24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री बृजराज सिंह राजावत — प्रार्थी
2. श्री अखिलेश शर्मा — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खाता संख्या 104 / 103 खसरा नम्बर 172 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 610 रकबा 7 बीघा 12 विश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा कृषि आराजियात वाके माल ग्राम जेपला तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में अवस्थित हैं। उपरोक्त वर्णित आराजियात अप्रार्थी ।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

6 एवं कस्तूरी के हिस्सा 1/3 एवं नन्द किशोर पुत्र मथुरा के हिस्सा 1/3 एवं शांति स्त्री मथुरा हिस्सा 1/3 में दर्ज जमाबन्दी चली आ रही है जिसमे उपरोक्त कस्तूरी एवं नन्दकिशोर तथा शांति का देहान्त हो चुका हैं तथा प्रार्थीगण शांतिबाई के वैध वारिस एवं कायम मुकामान हैं जो कि शांतिबाई के पुत्र हैं तथा मृतका कस्तूरी के वैध वारिस एवं कायम मुकामान अप्रार्थी कमांक 1 ता 6 हैं तथा मृतक नन्द किशोर ला औलाद फोत हुआ है जिसके प्रथम अनुसूचि के कोई वारिस जीवित नहीं हैं इस कारण मृतक नन्दकिशोर के वैध वारिस एवं कायम मुकामान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कमांक 1 ता 6 हैं जिनका मृतक नन्द किशोर रिश्ते में मामा लगता था मृतक नन्दकिशोर की दिनांक 08/05/17 को प्राकृतिक रूप से मृत्यु कारित हो चुकी है जो कि लाऔलाद फोत हुआ है जिसके प्रार्थीगल व अप्राथर्थी कमांक । ता 6 के अलावा कोई वैध वारिस नहीं हैं इसलिये प्रार्थीगण व अप्रार्थी कमांक 1 ता 6 उसके उक्त वर्णित आराजियात में मृतक नन्दकिशोर के हिस्से 1/3 में से 1/2–1/2 हिस्से को अर्थात सम्पूर्ण आराजियात को हिस्से 1/6–1/6 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात में खातेदारा शांति की लगभग दो वर्ष पूर्व मृत्यु कारित हो चुकी हैं जो प्रार्थीगण की माता थी जिसके वैध वारिस व कायम मुकामान प्रार्थीगण ही हैं जिसका उक्त आराजियात में हिस्सा 1/3 दर्ज जमाबन्दी हैं जिसको भी प्रार्थीगण अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के वैध अधिकारी हैं इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्त सम्पूर्ण आराजियात में से मृतक नन्दकिशोर के हिस्से 1/6 एवं मृतका शांति के हिस्से 1/3 अर्थात् कुल हिस्से 1/2 के खातेदार कृषक घोषित होकर उसका बंटवारा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर करवा कर अलग जमाबंदी मूर्तिब करवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम प्रार्थीगण खातेदार कृषक के रूप में दर्ज कराने के वैध अधिकारी हैं । उपरोक्त वर्णित आराजियात में मृतका शांतिबाई के हिस्से 1/3 एवं मृतक नन्दकिशोर के हिस्से 1/6 पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस पर से अप्रार्थी क्रमांक 1 प्रार्थीगण को उक्त आराजियात से बेदखल करना चाहता हैं इस बावत् अप्रार्थी कमांक 1 द्वारा प्रार्थीगण के उक्त कब्जे काश्त की आराजियात से प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु दिनांक 10/04/19 को उनके कब्जे काश्त व हिस्से की उक्त आराजियात पर ट्रेक्टर से हंकाई करने का प्रयास किया तथा प्रार्थीगण के मना करने पर बमुश्किल माना तथा अप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी है कि वह उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण के उक्त कब्जे व काश्त की आराजियात से वह प्रार्थीगण को बेदखल करके रहेगा और उसे खुर्द बुर्द भी करके रहेगा तथा प्रार्थीगण के हिस्से में उपरोक्त वर्णित आराजियात में उनके हिस्से का बटवारां भी नहीं होने देगा एवं उक्त आराजियात पर उनके हिस्से पर काश्त नहीं करने देगा इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी कमांक 1 ता 6 को उपरोक्त आराजियात पर अपने हिस्से के संदर्भ में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है कि अप्रार्थर्थी कमांक । ता 6 उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के हिस्से की आराजियात में पार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा न ही उक्त आराजियात को किसी प्रकार से दान, रहन व अन्य प्रकार से अन्यत्र करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 10/04/19 उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण के हिस्से का न तो बंटवारा होने देने बाबत् तथा उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण के हिस्से को खुर्द बुर्द करके उनके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने हेतु ट्रेक्टर से हंकाई करने का प्रयास किया प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2070–73 खंख्या 104 नकल जमाबन्दी ग्राम खुरई सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 44 नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 2000 फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2017 मृतक शान्तिबाई का पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जैपला तहसील छबडा में स्थित है जिसमें शान्तिबाई का 1/3 हिस्सा है शान्तिबाई की मृत्यु हो चुकी है शान्तिबाई के वारिसान प्रार्थीगण है तथा मृतक खातेदार कस्तुरी बाई के वैध वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 है मृतक नन्दकिशोर ला औलाद फोत हुआ है इसलिए प्रार्थीगण का कुल भूमि में हिस्सा 1/2 है प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराकर अलग खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है तथा प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि नन्दकिशोर ला औलाद फोत हुआ था। मृतक नन्दकिशोर ने अपने जीवनकाल में गौरीलाल के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 05.07.2017 को रूबरू गवाहन के समक्ष निष्पादित किया था। तथा नन्दकिशोर का क्रियाकर्म भी गौरीलाल ने किया था। नन्दकिशोर के हिस्से 1/3 पर गौरीलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण नन्दकिशोर के हिस्से की भूमि को गौरीलाल से छुडाना चाहतें है प्रार्थीगण को गौरीलाल के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहतें है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 104 के अनुसार नन्दकिशोर पुत्र मथुरा 1/3 शान्ति पुत्री मथुरा 1/3 गोरीलाल माता कस्तुरी सीताबाई,भूरीबाई,धापुबाई,सुमित्राबाई,बसन्तीबाई, माता कस्तुरी बाई हिस्सा 1/3 कोम गाडरी के नाम दर्ज रिकार्ड है मृत्यु प्रमाण पत्र शान्तिबाई के अनुसार शान्तिबाई की मृत्यु दिनांक 03.08.2017 को होना पाया जाता है। मृतक शान्तिबाई के वारिसान प्रार्थीगण है। जब तक मूल वाद के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नही हो जाता ह तब तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)